01/9/25 APO अभि

अभि० वर पक्ष के समक्ष अधिवक्ता। गवाह PW-9 बलवन्तसिंह के बयान लिये गये। गवाह सं. 11 अभि० यू's को तलब किया गया अन्य गवाहान अनु.। गवाह की पत्रावली में पत्रावली के साथ अभि० द्वारा अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत नया दोष पत्र पढ़ा अभि० को सुना गया धा. U/S 313 Cr.P.C. किये गये साक्ष्य मात्र पेश करना नया चाय पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दि. 04/9/25

मुनसफअली
अतीरखान

मो.

अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरदारशहर (चुरू)